ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 2

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है।

डा. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है। संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हेतु संघ की पहल पर प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना हुई। संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता हैं, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशन एसोसिएशन्स', एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एण्ड एडल्ट एजूकेशन', 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' तथा 'इण्टरनेशनल रीडिंग ऐसोसिएशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002
दूरभाषः 011–23379282, 23378436, 23379306
फैक्सः 011–23378206, ई–मेलः directoriaea@gmail.com
website: www.iaea-india.org; www.iiale.org

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 3

प्रौढ़ शिक्षा

फरवरी–मार्च 2013
वर्ष 57 अंक–2

सम्पादक मण्डल

प्रो. भवानीशंकर गर्ग

ए.एच.खान
डा.एल.राजा
डा. मदन सिंह
इन्दिरा पुरोहित
दुर्लभ चेतिया
मृणाल पंत
के.आर.सुशीले गौडा

सहायक सम्पादक

बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय 2

महात्मा गांधी की वयस्क शिक्षा – वैश्विक प्रासंगिकता 3
– महेन्द्र कुमार वर्मा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम : भारतीय शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण कदम 12
– नागेश शिन्दे
– संदीप सोनी
– दीपमाला सोनी

जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था : कारण और निवारण 21
– निधि तँवर

माध्यमिक विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली कम्प्यूटर शिक्षा का विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर प्रभाव का अध्ययन 26
– प्रशान्त अग्निहोत्री
– दिव्या गुप्ता

विद्यार्थियों के मूल्यों के विकास में विद्यालयों की भूमिका का अध्ययन 34
– मीनाक्षी मिश्रा

मूल्यः 100 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 4

आम बजट 2013 -14 में शिक्षा

27 मार्च 2013 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदाम्बरम ने बजट के पूर्व की गई आर्थिक समीक्षा के नतीजों को देश के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराज रामन की देख–रेख में तैयार हुई इस आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट ने देश के ताजा हालात से संबंधित कई महत्वपूर्ण चुनौतियों को रेखांकित किया। इस समीक्षा में उभरे आकड़ों के अनुसार सन् 2020 तक भारत में लगभग 1.67 करोड़ रोजगारों का आभाव होगा अर्थात तब तक 1.67 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे होंगे। समीक्षा ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि कार्य करने योग्य युवाओं को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने पर सभी सहमत है पर इतनी बड़ी संख्या में अच्छे और लाभप्रद रोजगार वास्तव में आएगें कहां से? यह वास्तव में एक गंभीर चुनौती है। हमारे देश में 66 प्रतिशत आबादी युवाओं की है जिसे सभी देश का एक सकारात्मक पक्ष मानते हैं। पर यह सकारात्मक पक्ष (एसेट) में तभी रूपांतरित हो पाएगा जब वह शिक्षित होगा तथा व्यावसायिक कुशलता में दक्ष हो लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर सकेगा।

उपरोक्त चुनौतियों की पृष्ठभूमि में गत 28 मार्च 2013 को वित्त मंत्री श्री पी. चिदाम्बरम ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष का आम बजट देश के सामने प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने माना कि वर्तमान भारत के तीन चेहरे हैं– महिला, युवा और गरीब। उन्होंने आम बजट में इन तीनों वर्गो को विशेष तौर पर सम्बोधित किया। उनके द्वारा किये गये तीन प्रमुख वायदो में दूसरा युवाओं के उद्देश्य से था। इसके तहत उन्होंने एक हजार करोड़ की राशि के साथ एक विशेष फंड विकसित करने की घोषणा की जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्नमुख दक्षताऐं प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस मद के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन (नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन) द्वारा विविध प्रकार के व्यावसायिक दक्षताओं के लिए पाठयक्रम एवं पाठ्य–स्तर (Curriculam and Standard) विकसित किया जाएगा। तदुपरांत इस दिशा में कार्यरत संस्थान युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर सकेंगे। युवा अपनी इच्छित विधा या विषय में परीक्षा देने के बाद प्रमाण पत्र के साथ दस हजार रूपयों की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त कर सकेंगे।

ताजा बजट में वित्तमंत्री ने सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र के लिए 79,451 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए हैं जिसके अंतर्गत साक्षरता, उच्च और तकनीकी शिक्षा तीनों हीं शामिल हैं। सन् 2012–13 में इस मद में कुल 74,056 करोड़ रूपये प्रदान किए गये थे। इस प्रकार मौजूदा वर्ष की राशि गत वर्ष की तुलना में 5,395 करोड़ अर्थात 7.2 प्रतिशत ज्यादा है। गौरतलब है कि वर्ष 2012–13 में यह बढ़ोतरी वर्ष 2011–12 की तुलना में 18.6 प्रतिशत की थी। स्पष्ट है कि गत वर्ष की तुलना में शिक्षा क्षेत्र को तुलनात्मक रूप सें कम वरीयता प्रदान की गई है।

यदि योजना गत मद की बात की जाय तो इस बजट में शिक्षा हेतु 65,869 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2012–13 में शिक्षा पर व्यय की जाने वाली योजना गत राशि 61,427 करोड़ थी। इस वर्ष स्कूल शिक्षा हेतु 49,869 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2012–13 की तुलना में यह 3690 करोड़ ज्यादा है। उच्च शिक्षा हेतु इस वर्ष 16,210 करोड़ प्रदान किए गये हैं। सन् 2012–13 में इस मद में 15,458 करोड़ रूपये प्रदान किए गये थे अर्थात इस वर्ष महज 752 करोड़ की बढ़ोतरी है।

सर्व शिक्षा अभियान के मद में पिछले वित्त वर्ष में 25,500 करोड़ रूपये प्रदान किए गये थे जिसे इस वर्ष बढ़ा कर 27,258 करोड़ किया गया है अर्थात 1,750 करोड़ रूपयों की वृद्वि की गई हैं। विदित है कि सर्व शिक्षा अभियान ही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को लागू करने का प्रमुख जरिया है और इस दृष्टि से देखा जाय तो 1,750 करोड़ की वार्षिक बढ़ोतरी अत्यन्त ही कम है। स्वयं शिक्षा मंत्री श्री एम. एम. पल्लम राजू ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आरटीई लागू करने की समय सीमा मार्च 31 तक निर्धारित है। कई राज्य केंद्र से और अधिक भागीदारी की मांग कर रहे है। ऐसे में यह बजट कतई पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें शिक्षा पर और अधिक राशि की मांग करनी होगी। मीड डे मील जो बच्चों की एक बड़ी आबादी को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करता है वहां भी मात्र 1,260 करोड़ रूपये ही बढ़ाए गये हैं। सन् 2012–13 में यह 11,937 करोड़ था जिसे बढ़ाकर अब 13,125 करोड़ किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए वर्ष 2013–14 में कुल 3,983 करोड़ रूपये प्रदान किए गये हैं। सन् 2012–13 में यह 3124 करोड़ था। इस प्रकार यहां 859 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है।

साक्षर भारत जो केंद्र सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है इसके तहत देश भर में महिला साक्षरता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है उस मद में भी प्रौढ़ एवं कुशलता विकास हेतु महज 683 करोड़ रूपये प्रदान किए गये हैं। विगत वर्षों में साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत किये जा रहे है प्रयासों को सुचारू ढ़ग से संचालित करने के लिए निश्चित ही और राशि की जरूरत होगी। ऐसे में यहीं उम्मीद की जा सकती है कि मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पल्लम राजू संजीदगी से अपनी बात वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री तक पहुचांएगें जिसे देश हित में संबंद्ध मंत्रालय स्वीकृति प्रदान करेगा।

–बी.संजय

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 5

महात्मा गांधी की वयस्क शिक्षा – वैश्विक प्रासंगिकता

– महेन्द्र कुमार वर्मा

सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को उनके वैश्विक चिन्तन ने उन्हें युग पुरूष के रूप में स्थापित किया। सत्य को ही ईश्वर मानने वाले गांधी जी ने अनेकों वैश्विक समस्याओं से संघर्ष हेतु इसी मार्ग का चुनाव किया। जटिल से जटिल समस्या के हल के लिए वे अपना सत्य और अहिंसा की दीपक उठाकर कहते ''यह दीपक हाथ में ले लो, सब कुछ साफ साफ सूझ जायेगा।'' गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, दया, सेवा और न्याय के मार्ग पर चलकर जात–पॉत, छुआ–छूत ऊँच–नीच, अमीर–गरीब के मध्य भेदभाव को मिटाने के लिये अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। गांधी जी सदैव ही चरित्र शुद्धि और साधन शुद्धि पर जोर देते रहे। गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत विचार गरीबी से लड़ रहे भारत जैसे राष्ट्र के परिवेश के अनुकूल एवं उपयोगी तो साबित हुए ही, आज इनकी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता विश्वस्तर पर अनुभव की जा रही है। गांधी जी ने ''वयस्क शिक्षा'' अथवा ''प्रौढ़ शिक्षा'' पर अपनी संकल्पना प्रस्तुत की थी। इस संकल्पना के वैश्विक महत्व को आज सभी अनुभव कर रहे हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पना तत्पश्चात् भारत सहित विभिन्न राष्ट्रों यथा पाकिस्तान, चीन, रूस, वियतनाम एवं तंजानिया की प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पनाओं को प्रस्तुत किया गया है। इसके उपरान्त गांधी जी द्वारा प्रस्तुत प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पना की तुलना विभिन्न राष्ट्रों की प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पना से की गई है। अन्त में गांधी द्वारा प्रस्तुत प्रौढ़ शिक्षा के संकल्पना की वैश्विक प्रासंगिकता एवं निहितार्थ का अध्ययन किया गया है।

गांधी जी के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा

गांधी जी ने प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा के माध्यम से ही इसके संकल्पना को समझाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार ''शिक्षा से अभिप्राय यह है कि बालक या प्रौढ़ के शरीर, मन तथा आत्मा की उत्तम क्षमताओं को उद्घाटित किया जाय और प्रकाश में लाया जाय। गांधी जी के अनुसार अक्षर ज्ञान न तो शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य है और न उसका आरम्भ! वह तो मनुष्य की शिक्षा के कई साधनों में से केवल एक साधन है। अक्षर ज्ञान अपने आपमें शिक्षा नहीं है। गांधी जी का विचार था कि ''उस देश में जहॉ लाखों आदमी भूखों मरते हैं, बुद्धि पूर्वक किया जाने वाला श्रम ही सच्ची प्राथमिक या प्रौढ़ शिक्षा है, अक्षर ज्ञान, हाथ की शिक्षा के बाद आना चाहिए'' (गांधी, 1960, पृ0 196–97)

गांधी जी का कहना था कि 'हमें अपने प्रौढ़ों को यह जानकारी देनी चाहिए कि वे विदेशी हुकूमत के अधीन कार्य कर रहे हैं, जिसका कारण उनकी कमजोरियां और खामियां हैं। वे नहीं जानते कि इस परदेशी हुकूमत को दूर करने की ताकत खुद उनमें हैं। इसलिए बड़ी उमर के अपने देश वासियों की शिक्षा का सबसे पहला अर्थ मैं यह लगाता हूँ कि उन्हें जबानी तौर पर यानी सीधी बातचीत के जरिये सच्ची राजनीतिक तालीम दी जाय, इसी के साथ पढ़ने लिखने की तालीम भी चलेगी।' (गांधी, 1960 पृ0 204)

गांधी जी शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा) को मुक्ति का साधन मानते थे। मुक्ति सांसारिक बंधनों से, झूठ और हिंसा से। गांधी जी शिक्षा को स्वराज का भी साधन मानते थे। स्वराज का आशय अपने पर शासन, आत्म शासन अथवा आत्मसंयम है। इसके पश्चात् ही सुराज की कल्पना सम्भव हो सकती है।

गांधी जी का मानना था कि लिखने, पढ़ने, गणित का शुष्क ज्ञान प्रौढ़ों के जीवन का स्थायी अंग नहीं हो सकता। उन्हें ऐसा ज्ञान देना चाहिए जिसका उन्हें रोज उपयोग करना पड़े। वह उन पर थोपा नहीं जाना चाहिए, उसकी उन्हें भूख होनी चाहिए। ग्रामवासियों को गाँव का गणित, गॉव का भूगोल, गॉव का इतिहास और साहित्य का वह ज्ञान सिखाइये जिसे उन्हें रोज काम में लेना पड़े, अर्थात चिट्ठी पत्री लिखना और पढ़ना बताइये। वे इस ज्ञान को जुटाकर रखेंगे और आगे की मंजिलों की तरफ बढ़ेंगे। (गांधी, 1960, पृ0 205)

भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आशय

स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत सरकार द्वारा सन् 1948 में गठित मोहन लाल सक्सेना की अध्क्षता वाली समिति ने प्रौढ़ शिक्षा के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रौढ़ शिक्षा केवल साक्षरता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए अपितु इसमें नागरिकता की शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी और कृषि एवं हस्तशिल्पों सम्बन्धी जानकारी भी सम्मिलित होनी चाहिए।

जनवरी 1949 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के पन्द्रहवें अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर तत्कालीन केन्द्रीय मन्त्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने भाषण में समाज शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा) को पूर्ण मानव की शिक्षा बताया। समाज शिक्षा के विभिन्न पक्षों यथा साक्षरता जिसके माध्यम से विश्वज्ञान की प्राप्ति होगी, अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता, अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों के सर्वोत्तम उपयोग एवं उन्हें उन्नत कला कौशलों तथा उत्पादन विधियों की शिक्षा देना है, जिससे वह अधिक अच्छी आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर सकें।

2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा की गयी तथा प्रौढ़ शिक्षा की एक व्यापक परिभाषा देने का प्रयास किया गया जिसमें प्रौढ़ शिक्षा के तीन पक्षों साक्षरता अर्थात लिखना, पढ़ना तथा गणित के साथ सामाजिक जागरूकता तथा कार्यात्मकता को सम्मिलित किया गया। जागरूकता से व्यक्ति अपनी जीवन की वास्तविकताओं से परिचित हो सकेगा तथा उसे हल करने

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 7

हेतु समुचित कदम उठाने में सक्षम हो सकेगा। व्यक्ति में सरकार के नियम कानून एवं उसकी नीतियों की समझ उत्पन्न हो सकेगी जो उनके जीवन को सकारात्मक ढ़ंग से प्रभावित करेगी। साक्षर और शिक्षित व्यक्ति बातचीत, परिचर्चा एवं न्यायपूर्ण तथा वैद्य तरीके से अपनी समस्याओं को हल कर सकेगा। इससे कठिन एवं संघर्षपूर्ण परिस्थितियों यथा समस्याओं के मिलजुलकर हल करने में सहायता मिलेगी। कार्यात्मकता व्यक्ति में अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढ़ंग से सम्पादित करने की योग्यता विकसित करेगी, उनके कौशलों में वृद्धि कर सकेगी तथा उन्हें उत्पादक बनायेगी। इस प्रकार प्रौढ़ की ऊर्जा एवं समय दोनों की बचत हो सकेगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में साक्षरता, सामाजिक जागरूकता तथा कार्यकुशलता को वृहद् करते हुए उसमें राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्त्री समानता, छोटे परिवार की अवधारणा, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दे सामाजिक चेतना के साथ साथ राजनैतिक चेतना उत्पन्न करने पर विशेष बल दिया गया।

पाकिस्तान में प्रौढ़ शिक्षा का आशय

पाकिस्तान में प्रचलित प्रौढ़ शिक्षा जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा राष्ट्र के विकास से सम्बन्धित रही है। राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम में लिखना, पढ़ना, समझना, सामान्य गणित के साथ साथ इस्लामिक मूल्यों की समझ होना, अपने इतिहास एवं संस्कृति का सम्मान करना, उत्पादन कौशलों, नागरिकता एवं पर्यावरण का ज्ञान प्रदान करने को प्रमुख माना गया है (Unesco, 1983 Pakistan's...P 29)। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को राष्ट्रीय विकास के साधन के रूप में व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास में तथा राष्ट्र के समस्त प्रयासों में सहभागिता करने की योग्यता विकसित करने पर बल दिया गया है। इस प्रकार पाकिस्तान की प्रौढ़ शिक्षा व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय विकास पर केन्द्रित रही है।

चीन में प्रौढ़ शिक्षा का आशय

चीन का विचार था कि आजादी के पूर्व की शिक्षा औपचारिक, चयनात्मक, संकीर्ण तथा उच्चवर्ग एवं सीमित लोगों के रूचि की पूर्ति करती है। चीन द्वारा इस परम्परागत शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर नयी व्यवस्था लागू करने की संस्तुति की गयी। माओ का विचार था कि व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक विकास के साथ साथ साम्यवादी चेतना एवं संस्कृति का विकास किया जाय (TO,1975, P 3736)

इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य निरक्षरता समाप्त करना, किसानों एवं श्रमिकों के सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास करना, राजनैतिक चेतना तथा व्यावसायिक कौशलों का विकास करना प्रमुख रहा (Unesco, 1983, The Elimination... p. 43-44)। यूनेस्को के एक रिपोर्ट के अनुसार

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 8

भी चीन की प्रौढ़ शिक्षा का प्रमुख कार्य राजनैतिक चेतना तथा व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करना था। (Torsten 1985 P 3736)

इस प्रकार चीन में प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत पढ़ना, लिखना, गणित के ज्ञान के साथ–साथ प्रभावी ढंग से राजनैतिक शिक्षा दिये जाने की बात कही गयी है। कम समय में मानव संसाधन को उपयोगी एवं कार्यात्मक बनाने हेतु कृषि एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने पर बल दिया गया है। विषय वस्तु, अनिवार्य रूप से आवश्यकता एवं उपयोगिता से जुड़ी होनी चाहिए साथ ही स्थानीय परिवेश के अनुकूल होने की बात भी कही गयी है।

रूस में प्रौढ़ शिक्षा का आशय

प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता अभियान मार्क्स तथा लेनिन की विचारधाराओं से गहराई से जुड़ी थी। लेनिन का कहना था कि किसी राष्ट्र की शक्ति उसके जनसमूह की जागरूकता में है। एक राष्ट्र तभी शक्तिशाली हो सकता है जब उसकी जनता सूचनाओं से अच्छी तरह अवगत हो, विभिन्न मुद्दों पर अपने निर्णय दे सके तथा अपने स्वयं के निर्णय ले सके। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से लोगों में नयी चेतना जागृत करना तथा उन्हें राजनैतिक प्रक्रियाओं में प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्रदान करना था। इस प्रकार राजनैतिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा की एक आवश्यक अंग थी। लेनिन साक्षरता को सीधे रूप में राजनीति से जोड़ते थे। उनका विचार था कि एक निरक्षर व्यक्ति सदैव ही राजनीति से बाहर होता है। (Bhola 1984] P 41)

प्रौढ़ शिक्षा को सोवियत संघ के आधुनिकीकरण, विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान की वृद्धि, राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष भविष्य के निर्माण हेतु एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया था। लिखना, पढ़ना तथा गणित की भूमिका केन्द्रीय थी तथा इनके माध्यम से नये सोवियत व्यक्ति को तैयार करना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देना, सामाजिक, राजनैतिक एवं औद्योगिक जीवन हेतु सक्रिय नागरिक तैयार करना इसके अन्य महत्वपूर्ण उदेश्य थे।

वियतनाम में प्रौढ़ शिक्षा का आशय

जापान से स्वाधीनता प्राप्ति के एक माह उपरान्त अक्टूबर 1945 में वियतनाम के राष्ट्रीय नेता हो ची मिन्ह ने सम्पूर्ण राष्ट्र से एक वर्ष के भीतर निरक्षरता उन्मूलन का आह्वान किया। वियतनाम में साक्षरता को राजनैतिक शिक्षा एवं सैन्य प्रशिक्षण से जोड़कर चलाया गया, क्योंकि उस समय वियतनाम के कुछ क्षेत्रों में अमेरिका का हस्तक्षेप था। साक्षरता के अन्तर्गत उत्पादन में वृद्धि करना, साम्यवाद के निर्माण में प्रभावशाली ढंग से कार्य करना, विदेशी आक्रमणकारियों के अवशेष चिन्हों को समाप्त करना प्रमुख था (Unesco, 1981 P.4)। नये जीवन और नयी शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित करना, तकनीकी को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विकास करना एवं लिखना, पढ़ना तथा

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 9

गणित के साथ राष्ट्रभाषा ''क्वाक न्यू'' के अध्ययन पर बल दिया गया (Nium1985, P89)। प्रौढ़ शिक्षा की विषय वस्तु, आवश्यकता, परिवेश, सरलता, प्रयोगात्मकता तथा अभ्यास के सिद्धान्त पर आधारित होने के साथ इस प्रकार थी जो योग्यता एवं दक्षता में वृद्धि कर सके, कर्तव्य तथा दायित्व का बोध करा सके, जीने के तरीके सुझा सके तथा सामाजिक पुर्ननिर्माण में योगदान दे सके।

तंजानिया में प्रौढ़ शिक्षा का आशय

तंजानिया के प्रमुख राजनेता एवं राष्ट्रपति जुलियस के न्येरेरे का विचार था कि चुकी प्रौढ़ों का सीधा प्रभाव राष्ट्र के आर्थिक विकास पर पड़ता है, अतएव प्रथमतः उन्हें शिक्षित किया जाना आवश्यक है, जिससे वे विकास की योजनाओं को अनिवार्यतः समझ सकें, तथा इस योग्य हो सकें कि आवश्यक परिवर्तनों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। राष्ट्रपति जे के न्येरेरे ने साक्षरता को विकास की कुंजी बताया। उनका विचार था कि व्यक्ति का स्वयं एवं राष्ट्र के कर्तव्यों के प्रति अनिवार्य रूप से जागरूक होना आवश्यक है। इस हेतु वे प्रौढ़ शिक्षा को उपयुक्त साधन के रूप में मानते थे (Bhola,1984, P142)। प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा प्रथम लक्ष्य, जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाय, अर्थात अधिक उपज, अधिक उत्पादन, अधिक अच्छा कार्य एवं सन्तुलित भोजन आदि का ज्ञान प्रदान करना द्वितीय लक्ष्य, साम्यवाद की राष्ट्रीय राजनीति को समझना तथा स्वयं को समझना, स्वानुभूति अथवा आत्मानुभूति की स्थिति प्राप्त करना था। (Bhola,1984, P142)।

संक्षेप में प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक, तकनीकी, सम्प्रेषण, नयी राजनैतिक संस्कृति के प्रति चेतना उत्पन्न करना अर्थात एक नये समाज का निर्माण करना था।

प्रौढ़ शिक्षा की विभिन्न संकल्पनाओं का तुलनात्मक अध्ययन

लिखना, पढ़ना एवं सामान्य गणित के ज्ञान के साथ, प्रौढ़ के व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय विकास, उत्पादन में वृद्धि, कृषि एवं तकनीकी ज्ञान में वृद्धि की चर्चा महात्मा गांधी के साथ सभी राष्ट्रों ने की है। गांधी जी हस्तकार्यों व कौशलों को आर्थिक विकास का आधार मानते थे। अधिकतर राष्ट्रों ने प्रौढ़ शिक्षा को कृषि एवं तकनीकी में प्रशिक्षित कर कौशल युक्त बनाने की बात कहीं है। लगभग सभी राष्ट्रों ने प्रौढ़ शिक्षा को प्रौढ़ के परिवेश, आवश्यकता एवं उपयोगिता के अनुरूप होने पर बल दिया है। गांधी जी इससे सहमति जताते हुए कुछ और आगे बढ़ कर कहते हैं कि शिक्षा प्रौढों पर थोपी न जाय बल्कि वह ऐसी हो जो कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति करती हो तथा वे ऐसी शिक्षा की आवश्यकता महसूस करें। दुर्भाग्य से भारत तथा पाकिस्तान ने इस तथ्य को गम्भीरता से नहीं लिया। लगभग सभी राष्ट्रों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाये रखने के लिए प्रौढ़ शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग किया है। चीन और वियतनाम ने परतन्त्रता के चिन्हों को मिटाने में प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावी समझा। प्रौढ़ों में राजनैतिक चेतना के विकास की बात गांधी जी के साथ रूस, चीन वियतनाम तथा तंजानिया आदि राष्ट्रों ने प्रारम्भ

में ही स्वीकार कर ली जबकि भारत व पाकिस्तान ने इसकी उपेक्षा की। पाकिस्तान को छोड़कर समस्त राष्ट्रों ने धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाये रखने के लिए भी प्रौढ़ शिक्षा का उपयोग किया जबकि पाकिस्तान ने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से इस्लामिक विचार की शिक्षा देने की बात कही। गौर तलब है कि गांधी जी धर्म निरपेक्षता के स्वरूप को सर्वधर्म समभाव एवं वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा से पोषित करने के हिमायती थे। भारत इस बिन्दु पर भी अपनी पहचान बनाने में असमर्थ रहा, क्योंकि यहां परतन्त्रता के चिन्हों को मिटाने के माध्यम के रूप में राष्ट्र भाषा को वरीयता नहीं दी गई बल्कि मातृभाषा के लिए विकल्प खुले रखे गये। गांधी जी भी प्रारम्भिक चरण की शिक्षा के लिये मातृभाषा को उपयुक्त मानते थे।

चीन, वियतनाम, रूस, तंजानिया आदि राष्ट्रों ने प्रौढ शिक्षा को सामाजिक चेतना के साथ–साथ प्रबल राजनैतिक चेतना उत्पन्न करने का साधन बनाया तथा अपने प्रौढ़ों को राजनैतिक रूप से परिपक्व एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिक तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांधी जी के विचार थे कि प्रौढ़ों को प्रथमतः राजनैतिक रूप से जागरूक किया जाय जिससे वे अपने ऊपर विदेशियों द्वारा किये जाने वाले शासन का विरोध कर सकें। साथ ही उनमें शासन के नियमन की क्षमता उत्पन्न हो सके अर्थात शासन के उपयुक्त न होने पर वे उसे पदच्युत कर सकें। भारत तथा पाकिस्तान ने स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रौढ़ों में राजनीतिक चेतना जागृत करने का कोई प्रयास नहीं किया। फलतः दोनों ही राष्ट्रों में अपरिपक्व राजनैतिज्ञों की भरमार है जिनमें नैतिकता का घोर अभाव है। भारत आज भी जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म की संकीर्णताओं में जकड़ा है जिसे राजनेताओं से निरन्तर पोषण मिलता रहा है। पाकिस्तान जैसे राष्ट्र में तो परिपक्व राजनैतिक की पौध ही नहीं तैयार हो सकी।

गांधी जी द्वारा प्रस्तुत प्रौढ़ शिक्षा के संकल्पना की वैश्विक प्रासंगिकता एवं निहितार्थ

गांधी जी द्वारा प्रस्तुत प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पना की प्रासंगिकता निम्नलिखित रूपों में देखी जा सकती है :

1. प्रौढ़ शिक्षा की जो संकल्पना गांधी जी ने प्रस्तुत की थी, चीन, रूस, वियतनाम तथा तंजानिया द्वारा प्रस्तुत प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पना उसके अधिक निकट है,। विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्ति हेतु जिस राजनैतिक संचेतना को गांधी जी ने श्रेष्ठ वरीयता दी थी, उसकी पूर्ण उपेक्षा भारत तथा पाकिस्तान में की गयी। जबकि रूस, चीन, वियतनाम तथा तंजानिया आदि राष्ट्रों ने अपने प्रौढ़ों को गहनता से राजनीति की शिक्षा प्रदान कर उनमें राजनैतिक चेतना के भाव भरे। संभवतः इसी राजनैतिक जागरूकता के कारण ही इन देशों ने साक्षरता के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में भी भारी सफलता अर्जित की, जबकि भारत में एक तरफ जहां अपरिपक्व राजनैतिक चेतना दृष्टिगोचर होती है तथा सत्ता हथियाने के लिए नेताओं में जोड़ तोड़ और कपट पूर्ण व्यवहार परिलक्षित होते हैं वहीं दूसरी तरफ साक्षरता के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों को कभी भी वांछित

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 11

सफलता नहीं प्राप्त हो सकी।

2. गांधी जी का विचार था कि प्रौढ़ शिक्षा की विषय वस्तु प्रौढ़ों की आवश्यकता तथा परिवेश से जुड़ी हो अर्थात प्रौढ़ों को वह विषय वस्तु उपलब्ध करायी जाय, जिसकी उन्हें भूख हो साथ ही प्रौढ़ शिक्षा उन पर थोपी भी न जाय। संभवतः रूस, चीन, वियतनाम तथा तंजानिया ने इस तथ्य पर ध्यान दिया। इसी कारण उन्होंने साक्षरता के क्षेत्र में महान सफलता प्राप्त की, जबकि भारत तथा पाकिस्तान में इसकी उपेक्षा हुई। फलतः इन देशों में प्रौढ़ शिक्षा की ग्राहयता प्रभावित हुई। इन्हीं कारणों से साक्षरता दर में प्रगति इन दोनों देशों में दशकों से रेंग रही है। जो उपलब्धि रूस, चीन, वियतनाम, तंजानिया ने साक्षरता के क्षेत्रों में दशकों पूर्व हासिल कर लिया था उससे भी आज हम कोसों दूर हैं।
3. गांधी जी ने अक्षरज्ञान से अधिक हाथ की शिक्षा पर बल दिया अर्थात हस्तकौशल पर। गांधी जी ने संभवतः भारत की कौशल एवं श्रमशक्ति तथा उसकी आवश्यकताओं को भलीभांति पहचान लिया था तथा शिक्षा के पूर्व उसकी रोजी रोटी सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया था। गांधी जी के मन में निश्चित ही यह बात आयी होगी कि व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के बाद शिक्षा में रूचि लेगा। जहां अन्य राष्ट्रों ने इस तथ्य पर गंभीरता से ध्यान दिया वहीं भारत के साथ ही पाकिस्तान ने इसकी उपेक्षा की। फलतः हस्त कार्यो के प्रति इन दोनों राष्ट्रों में आज भी धृणा का माहौल है। इसी कारण से ये देश बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं।
4. गांधी जी प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा अथवा प्रौढ़ शिक्षा के लिए मातृ भाषा को उपयुक्त मानते थे तथापि हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्थापित करना चाहते थे और विदेशी भाषाओं का विरोध करते थे। गांधी जी कहते थे कि ''दुनिया वालों से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता''। शिक्षा के शुरूआती चरण में मातृभाषा उचित प्रतीत होती है, क्योंकि अपने विचारों एवं भावनाओं को व्यक्ति अपनी मातृभाषा में जितने प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकता है, अन्य भाषा में नहीं। एक भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयास भारत तथा पाकिस्तान ने अवश्य किये परन्तु वे प्रभावी नहीं रहे तथा इन राष्ट्रों नें विदेशी भाषा अंग्रेजी का विकल्प खुला रखा, पर विदेशी भाषाओं को फलने फूलने का अवसर नहीं दिया जो कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए आवश्यक था। आज भारत तथा पाकिस्तान दोनों ही राष्ट्र एकीकरण की समस्या के साथ साथ भाषायी समस्या से भी जूझ रहे हैं।
5. वास्तव में यदि हम देखें तो गांधी जी द्वारा प्रस्तुत प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पना उपरोक्त राष्ट्रों में प्रचलित प्रौढ़ शिक्षा से श्रेष्ठ एवं व्यापाक है। उसका कारण यह है कि गांधी जी ने अपनी संकल्पना में शरीर, मन, तथा आत्मा की शक्तियों को उद्घाटित करने की बात है जबकि प्रौढ़ शिक्षा की अधिकांश संकल्पनाएं प्रौढ़ की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास तक ही सीमित है चाहे वह भारत की हो या अन्य राष्ट्रों की। गांधी जी ने जिस पूर्ण मानव की कल्पना की थी वह शरीर,

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 12

मन तथा आत्मा के विकास से ही संभव हो सकती है।

इस प्रकार गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पना पूर्ण एवं व्यापक है। इसकी प्रासंगिकता भारत के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिये है। इसकी प्रासंगिकता भूतकाल में थी, वर्तमान में हैं तथा भविष्य में भी रहेगी। इतना ही नहीं इसकी उपेक्षा करने वाले राष्ट्रों में मानव संसाधनों का पूर्ण विकास संभव नहीं होगा।

संदर्भ

1. उपाध्याय, ह, (2005) बापू कथा, वाराणसी, सर्व संघ प्रकाशन
2. गांधी म, (1960), मेरे सपनों का भारत, संग्रहक, आर के प्रभू, अहमदाबाद, नवजीवन
3. गांधी म. (2004), रचनात्मक कार्यक्रम, उसका रहस्य और स्थान, अनुवादक काशीनाथ त्रिवेदी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद
4. लाल, र.वि. (2005), भारत में शिक्षा का विकास मेरठः रस्तोगी पब्लिकेशन
5. Bhola, H.S. (1984). Campaigning for Literacy. Paris: Unesco
6. MHRD (1988). National Literacy Mission, New Delhi: MHRD
7. Nium, N.P. (1985). Motivating the People to Participate in Literacy and Complimentary Education Work in Socialist. Republic of Vietnam in G. Carron and A Boadia Eds, Issues in Planning and Implemnting National Literacy Programme, Paris Unesco.
8. To, C.Y. (1975). Adult Education as a Weapons for Social Reconstruction in China, Adult Leadership May 1975, P329
9. Torsten, and others (1985). Adult Education - Chinese Experience, International Encyclopedia of Education, Oxford: Pergamon Press.
10. Unesco (1983) Propects for Adult Education and Development in Asia and Pacific, Bangkok,
11. Unesco (1983). Planning and Management of Literacy Programme. Report of a Regional work shop. Bangkok:Unesco
12. Unesco (1983). Pakistan Experience in the Planning and Managment of Literacy Programme - Report of a Regional Workshop. Islamabad. Bangkok: Unesco.
13. Unesco (1983). The Elimination of Illiteracy - A Study of the Experiences of the Peoples Republic of China. Bangkok: Unesco
14. Unesco (1984). Literacy Situation in Asia and Pacific - Country Studies India. Bangkok: Unesco.
15. Unesco (1984). Literacy Situation in Asia and Pacific - Country Studies, Pakistan, Bangkok, Unesco.

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 13

Form IV

1. Place of Publication	Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate New Delhi - 110 002
2. Periodicity of Publication	Monthly
3. Printer's name Nationality Address	Dr. Madan Singh Indian 17-B, Indraprastha Estate New Delhi - 110 002
4. Publisher's name Nationality Address	Dr. Madan Singh Indian 17-B, Indraprastha Estate New Delhi - 110 002
5. Editor's name Nationality Address	Dr. Madan Singh Indian 17-B, Indraprastha Estate New Delhi - 110 002
6. Name and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders,holding more than one percent of the total capital	Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate New Delhi - 110 002

I, Dr. Madan Singh, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/-
Dr. Madan Singh
Signature of Publisher

Dated: 28-3-2013

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 14

शिक्षा का अधिकार अधिनियम : भारतीय शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण कदम

नागेश शिन्दे
संदीप सोनी
दीपमाला सोनी

भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। हमारी इस संस्कृति ने हमें विरासत में अनेकों बेशकीमती और नायाब तोहफे दिए हैं। उन्ही में से एक है – हमारी शिक्षा पद्यति। डॉ.ए.एस.अल्तेकर की मानें तो ''वैदिक युग से लेकर आज तक शिक्षा को प्रकाश का स्त्रोत माना जाता रहा है और वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करता रहा है।'' वैदिक काल में शिक्षा का अभिप्राय वेदकालीन शिक्षा रहा है, क्योंकि वैदिक शिक्षा मूलतः ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पर आधारित थी। इस काल में प्रचलित शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए वेद ही एकमात्र स्त्रोत हैं। वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विनय आदि अर्थों में हुआ है। सायण ने ऋगवेद भाष्य–भूमिका में लिखा है – 'जो स्वर, वर्ण, मात्रा आदि के उच्चारण–प्रकार का उपदेश दे कर शिक्षा दे वही मूल शिक्षा है।'' शिक्षा को अंतर्ज्योति माना जाता था। इसे प्राप्त करके मनुष्य संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर जन्म–मरण से छुटकारा पा लेता था अर्थात मोक्ष पा लेता था, क्योंकि इस काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। इस प्रकार वैदिक काल में शिक्षा लौकिक न होकर आध्यात्मिक थी और परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन थी। इस काल में पुस्तकीय ज्ञान अर्जित करने को शिक्षा नहीं माना जाता था और ना ही शिक्षा को जीविकोपार्जन का साधन। शिक्षा को ज्ञान का ऐसा प्रकाशपुंज माना जाता था जो मनुष्य के अज्ञानता रुपी अंधकार को मिटाकर सर्वांगीण विकास कर सके। इस प्रकार वैदिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में देखें तो शिक्षा ही हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों और क्षमताओं का विकास करती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है।

भारत ने विश्व में एक विकासशील देश के रुप में अपनी छवि बनाई है। निःसंदेह यह राष्ट्र के नागरिकों के पूर्णतः भागीदार से ही सम्भव हुआ है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था तब विरासत में हमें मात्र हमारी संस्कृति एवं धरा ही मिली थी और साथ में मिली थीं अनेक समस्याएँ जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि। समय के साथ–साथ समस्याएँ भी बढ़ती गई और उनका स्वरुप भी बदलता गया। वर्तमान में भारत में विद्यमान अनेक समस्याओं

का मूल कारण अशिक्षा को ही माना जाता है। बुद्धिजीवियों की मान्यता है कि यदि देश के नागरिक शिक्षित होंगे तो वे किसी भी समस्या का समाधान आसानी से खोज उसे स्थायी रूप से मिटा सकेंगे।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो जनसंख्या तो बढ़ रही है किन्तु कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि दर अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। भारत में अनेक समस्याओं की मूल वजह भी गैर–कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि ही है। जब तक जन समुदाय यह ठीक प्रकार से समझ न ले कि केवल कार्यशील जनसंख्या से ही देश का विकास तेजी से हो सकता है तब तक देश इसी प्रकार मंथर गति से विकास करेगा। ऐसे में जन समुदाय की सोच को बदलने की आवश्यकता है जिसके लिए यह नितान्त जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी शिक्षित एवं जागरुक हो। भारत सरकार ने इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम उठाया है और वह कदम है ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम'' लागू करना। इस अधिनियम के माध्यम से शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। फलतः आने वाले समय में शिक्षा दर में अवश्य ही अभूतपूर्व वृद्धि होगी और देश विकास की नई इबारत लिखेगा ऐसी अपेक्षा की जा सकती है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

संविधान (86वाँ) संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारत के संविधान में अनुच्छेद 21क को शामिल किया गया है ताकि छः से चौदह वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को विधि के माध्यम से राज्य द्वारा यथानिर्धारित मौलिक अधिकार के रुप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। इस कार्यक्रम के तहत इसके पूर्ण रुप से क्रियान्वयन हेतु सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रमों की घोषणाएँ की गई हैं जो इस प्रकार हैं:

- ऑपरेशन ब्लैक–बोर्ड
- न्यूनतम शिक्षा स्तर
- मध्याह्न भोजन योजना
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
- संविधान की धारा 45 में संशोधन
- शिक्षा आश्वासन, शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक और नवाचार शिक्षा
- सर्वशिक्षा अभियान
- कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय
- प्राथमिक शिक्षा कोष

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो अनुच्छेद 21क के

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 16

अंतर्गत परिकल्पित अनुवर्ती विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि अधिनियम प्रत्येक बच्चे को कतिपय आवश्यक मानदंडों एवं मानकों को पूरा करने वाले औपचारिक विद्यालय में संतोषप्रद और साम्यपूर्ण गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 2002 में भारत सरकार के द्वारा शिक्षा जगत् के विकास में उठाया गया यह कदम विभिन्न आयोगों की सिफारिशों पर आधारित था किन्तु तब से इस हेतु संवैधानिक निर्देशों अथवा शिक्षा के सार्वभौमीकरण की पूर्ति में अनेक समस्याएँ आती रही हैं जो इस प्रकार हैं :

- ❖ प्राथमिक स्तर पर अपव्यय तथा अवरोध।
- ❖ विभिन्न राज्यों, वर्गों तथा लिंगों की शिक्षा के विकास में बहुअंतर।
- ❖ नामांकन कार्य में कमियाँ।
- ❖ सुविधाओं का अभाव।
- ❖ अरुचिकर पाठ्यक्रम।
- ❖ निरस शिक्षण विधियाँ।
- ❖ माता–पिता द्वारा उपेक्षा।
- ❖ समुदाय की उदासीनता।
- ❖ एक अध्यापक वाले स्कूलों की कमियाँ।
- ❖ व्यवस्था संबंधी समस्याएँ।
- ❖ लड़कियों का शिक्षा के प्रति कम उत्साह।
- ❖ द्विपारी पद्यति के दोष।
- ❖ निरंतर कक्षाओं का अभाव।
- ❖ स्कूलों के अनुपयुक्त भवन।
- ❖ अध्यापकों का प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार न होना।
- ❖ अध्यापकों का कम वेतनमान एवं कम सुविधाएँ विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- ❖ पंचायतीराज का ढीलापन।
- ❖ अनिवार्य शिक्षा कानून को लागू करने के ढंग।
- ❖ राज्य सरकारों तथा स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों का त्रुटिपूर्ण वितरण।
- ❖ अर्थ का अभाव।
- ❖ भौगोलिक बाधाएँ – दूरदराज, पहाड़ी क्षेत्र आदि।
- ❖ राजनीतिक दलों का शिक्षा में अवांछनीय हस्तक्षेप।
- ❖ उचित तथा प्रभावी राजनीतिक इच्छा–शक्ति का अभाव।

अनुच्छेद 21क और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 17

का अधिकार अधिनियम शीर्षक में ''निःशुल्क और अनिवार्य'' शब्द सम्मिलित हैं, जिसका अर्थ है कि किसी बालक को यथास्थिति उसके माता–पिता, समुचित सरकार द्वारा स्थापित स्कूल से अलग स्कूल में उसका प्रवेश कराते है तब प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। ''अनिवार्य शिक्षा'' पद से समुचित सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण की 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करने की बाध्यता अभिप्रेत है। इससे भारत अधिकार आधारित कार्यढ़ाँचे की ओर अग्रसर होता है। इसके अनुसार केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा को बच्चों के मौलिक अधिकार के रुप में कार्यान्वित करने के लिए अभिप्रेत हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित प्रावधान हैं

- ❖ आसपास के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
- ❖ यह स्पष्ट करता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अभिप्राय 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने तथा अनिवार्य दाखिला, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सरकार के दायित्व से है। ''निःशुल्क'' का अभिप्राय यह है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का शुल्क या प्रभार या व्यय अदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई करने एवं पूरा करने से रोक सकता है।
- ❖ यह गैर दाखिल बच्चे की आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला के लिए प्रावधान करता है।
- ❖ यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य जिम्मेदारियों की हिस्सेदारी में उपयुक्त सरकारों, स्थानीय प्राधिकरण एवं अभिभावकों के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है।
- ❖ यह अन्य बातों के साथ शिक्षक छात्र अनुपात (पी.टी.आर.), भवन एवं अवसंरचना, स्कूल के कार्य–घंटों, शिक्षकों के कार्य–घंटों से संबंधित मानक एवं मानदंड विहित करता है।
- ❖ यह सुनिश्चित करता है कि निर्दिष्ट शिक्षक छात्र अनुपात प्रत्येक स्कूल के लिए अनुरक्षित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाय कि राज्य, जिला या ब्लॉक स्तर के पदों में कोई शहरी–ग्रामीण असंतुलन नहीं है। यह शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती का प्रावधान करता है। यह 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानमंडलों एवं संसद के चुनावों तथा आपदा राहत को छोड़कर गैर–शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का भी निषेध करता है।

- ❖ यह उपयुक्त रुप से प्रशिक्षित शिक्षकों अर्थात अपेक्षित प्रवेश एवं अहर्ता वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है।
- ❖ यह शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न, बच्चों के दाखिले के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, कैपिटेशन फीस, शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण, मान्यता के बिना स्कूलों के संचालन का निशेध करता है।
- ❖ यह संविधान में अधिष्ठापित मूल्यों तथा ऐसे मूल्यों के अनुरुप पाठ्यचर्या के विकास का प्रावधान करता है जो बच्चे के ज्ञान, क्षमता तथा प्रतिभा का निर्माण करते हुए तथा बाल अनुकूलन एवं बाल केंद्रीत अध्ययन के माध्यम से डर, किसी प्रकार के आतंक (ट्रौमा) एवं चिंता से मुक्त करते हुए बच्चों के चहुँमुखी विकास को सुनिश्चय करेंगे।

ये उद्देश्य विभाग के निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा किए जाने के लिए आशयित हैं :

- ❖ प्रारंभिक स्तर – सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन
- ❖ माध्यमिक स्तर – राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अभियान, आदर्श विद्यालय
- ❖ व्यावसायिक शिक्षा – बालिका छात्रावास
- ❖ निःशक्त की सम्मिलित शिक्षा – आई.सी.टी. स्कूल
- ❖ प्रौढ़ शिक्षा – साक्षर भारत
- ❖ अध्यापक शिक्षा – अध्यापक शिक्षा बढ़ाने के लिए योजना
- ❖ महिला शिक्षा – महिला समाख्या
- ❖ अल्पसंख्यक शिक्षा – मदरसों में उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना
- ❖ अल्पसंख्यक संस्थानों का संरचनात्मक विकास

आयु के अनुसार विद्यालय में प्रवेश व विशेष प्रशिक्षण

- ❖ जो बालक/बालिकाएँ विद्यालय में दाखिल नहीं हुए या जिन्होंने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व विद्यालय त्याग दिया हो उन्हे उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देने का प्रावधान है।
- ❖ प्रवेश के पश्चात उन्हे विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ एक समान अध्ययन कर सकें।
- ❖ नियमों में यह उल्लेख भी है कि 3 माह से 2 वर्ष तक के विशेष प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाएगा जिनमे स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी को महत्व दिया जाएगा। रिपार्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि 3 माह से कम अवधि वाले प्रशिक्षण भी हो सकेंगे।

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 19

❖ विशेष प्रशिक्षण के शिक्षाक्रम में जीवन कौशल शामिल होगा जो कि विशेष रुप से गठित समूह के द्वारा कराया जाएगा।

शिक्षकों से अपेक्षाएँ

1. शिक्षक एस.एम.सी. के कार्य में पूरा सहयोग करें।
2. स्थानीय समाज तथा माता–पिता के प्रति जवाबदेह होंगे।
3. शारीरिक मानसिक दण्ड नही देंगे।
4. विद्यार्थियों में किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नही रखेंगे।
5. नियमित रुप से समय–समय पर विद्यालय आएँगे और वहाँ शैक्षिक कार्य ही करेंगे।
6. शिक्षक नैतिकता के आधार पर कार्य करेंगे और ऐसा न करने पर उन्हे दण्डित किया जाएगा।

शिक्षाक्रम

❖ शिक्षाक्रम, पठन–पाठन सामग्री, शिक्षार्थी मूल्यांकन तथा शिक्षण प्रशिक्षण, ये सभी एक–दूसरे को सुदृढ़ करें।

❖ शिक्षाक्रम निर्धारित करने के लिए केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार उपयुक्त अकादमिक संस्थाएँ निर्धारित करेंगी।

❖ शिक्षाक्रम के लिए यह आवश्यक होगा कि –

- वह संविधान में लिखित मूल्यों के अनुरुप हो।
- बालक–बालिकाओं में किसी प्रकार का डर या घबराहट न पैदा करें।
- वह बाल केंद्रीत तथा गतिविधि आधारित हो।

❖ शिक्षण का माध्यम यथासम्भव बालक–बालिकाओं की मातृभाषा हो।

❖ हर स्कूल में शिक्षकों के द्वारा व्यापक तथा अनवरत मूल्यांकन की व्यवस्था हो।

❖ 8वीं कक्षा तक किसी प्रकार की बाह्य परीक्षा या पास अथवा फेल वाली परीक्षा लागू नही की जा सकती।

केंद्र सरकार के कर्त्तव्य

❖ राष्ट्रीय शिक्षाक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करना।

❖ प्रशिक्षण के मानदंड तथा व्यवस्थाएँ निर्धारित करना।

❖ राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता तथा वित उपलब्ध करवाना तथा उन्हें नवाचार

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 20

और अनुसंधान करने के लिए मदद की जरुरत का अनुमान लगाना।

- ❖ राज्य सरकारों के साथ मंत्रणा के बाद तय प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना।
- ❖ राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति का गठन करना और उनके माध्यम से इस विधेयक के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना।

राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के कर्त्तव्य

- ❖ यह सुनिश्चित करना कि सभी बालक/बालिकाओं को अच्छे स्तर की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो सके।
- ❖ निर्धारित मानदंड के अनुसार आगामी 3 वर्ष में सभी बालक/बालिकाओं के लिए स्कूल उपलब्ध करवाना। इसके लिए सामाजिक मानचित्रण करना।
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि कमजोर और वंचित वर्ग के बालक/बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभवाव न हो।
- ❖ सभी स्कूल के लिए शेड्यूल में निर्धारित सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
- ❖ बालक/बालिकाओं को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में भर्ती करवाना और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- ❖ यह देखना कि बालक/बालिकाओं की भर्ती में विधेयक के अनुसार सहजता रहे और प्रत्येक विद्यार्थी नियमित रुप से स्कूल में आए तथा आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करे।
- ❖ शिक्षाक्रम निर्धारित करना, शिक्षकों की नियुक्ति करना तथा उनके प्रशिक्षण को देखना।

दण्ड विधान

- ❖ ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने में अनाकानी करने या विलंब करने पर संस्था प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
- ❖ माता–पिता/अभिभावकों का कर्त्तव्य है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में भरती करें और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें।
- ❖ यदि कोई स्कूल कैपीटेशन फीस लेता है तो उस पर ली गई कैपीटेशन फीस का दस गुना जुर्माना लगाया जाए।
- ❖ यदि कोई स्कूल भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग करता है तो उस पर पहले केस में 25000 तक और उसके बाद हर केस में 50,000 तक जुर्माना लगाया जाए।
- ❖ किसी विद्यार्थी को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न देने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होगी। बिना मान्यता के स्कूल चलाने या संबंधित

अधिकारी द्वारा मान्यता रद्द कर देने और उसके बाद भी स्कूल चलाते रहने की स्थिति में 10,000 का जुर्माना और स्कूल के चलते रहने पर प्रतिदिन 10,000 का जुर्माना लगाया जाए।

❖ वे शिक्षक जो विधेयक में लिखित कर्त्तव्य पूरे नहीं करते उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही हो।

शिक्षा के अधिकार का उपयोग

❖ अधिकार से वंचित रहने पर सर्वप्रथम स्थानीय निकाय स्तर पर शिकायत की जानी चाहिए।

❖ इसके ऊपर राज्य स्तरीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास शिकायत की जा सकती है।

❖ एन.सी.पी.सी.आर. सारे तंत्र का निरीक्षण करेगा और यह देखेगा कि,

- स्थानीय निकाय और राज्य आयोग स्तर पर ठीक से कार्यवाही हो।
- जहॉ बाल अधिकारों का हनन बड़े पैमाने पर हो रहा है वहॉ यह प्रभावी हस्तक्षेप करेगा।
- यह हर राज्य के लिए विशेष आयुक्त नियुक्त करेगा।

❖ यह विधेयक हर पीड़ित व्यक्ति तथा हर नागरिक को अधिकार देता है कि जरुरत पड़ने पर वे न्यायालय का आश्रय लें।

वर्तमान में देश में इस अधिनियम के दायरे मे आने वाले बच्चों की संख्या लगभग 50 करोड़ है। इन सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार और शिक्षक समुदाय के लिए अत्यंत कठिन कार्य है क्योंकि भारतीय परिस्थितियों को इसके अनुकूल बनाने में अभी बहुत समय लगेगा। जब तक साधारण जन मानस के स्तर पर यह स्पष्ट नहीं होता कि बिना शिक्षा के न तो उनका उद्धार होगा और न ही देश का, तब तक संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना अत्यंत दुर्लभ कार्य है। आज भी देश में लगभग 52 प्रतिशत बच्चे शिक्षा या विद्यालयों की पहुॅच से परे हैं तथा लगभग 53 प्रतिशत बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिनमे 66 प्रतिशत लड़कियॉ 46 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्र तथा 38 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्र हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 10 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रुप में कार्य कर रहे हैं।

शिक्षा के अधिकार का कानून के रुप में लागू होना वास्तव में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। यह हमारे राष्ट्र की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन को गति प्रदान करेगा। किन्तु यह भी सत्य है कि भारतीय परिस्थितियाँ इस परिवर्तन को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाएगी क्योंकि अनेक लोग आज भी पुराने युग में ही जी रहे हैं जिन्होने न तो अपने गाँव में कभी

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 22

बिजली देखी है और ही ना सड़क। जब आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सरकार उन्हे मौलिक सुविधाएँ मुहैया करा पाने में अक्षम है तब शिक्षा के अधिकार को ऐसे जन समुदाय, जिन्हे वास्तविक रुप मे ऐसे कानूनों की आवश्यकता है, तक भला कैसे पहुँचा पाएगी। अतः यह तो निश्चित है कि यह कार्य केवल सरकार के बल पर सम्पन्न नही हो सकता। इस हेतु देश के प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रुप से रुचि लेकर आगे आना होगा।

संदर्भ

1. सिंह, के. : भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, एच.पी.भार्गव बुक हाउस, आगरा, 2006.
2. अग्रवाल, जे.सी.: भारत मे शिक्षा व्यवस्था का इतिहास, क्षिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2007.
3. राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एज्यूकेशन एक्ट 2009, नई दिल्ली, द गजट ऑफ इण्डिया–2009.
4. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 : प्राथमिक शिक्षक, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, जुलाई–अक्टूबर 2010.
5. cry.org
6. www.educationonline.org

○○○○○

जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है, नारी का अस्तित्व ही सुन्दर जीवन का आधार है।

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 23

जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था : कारण और निवारण

निधि तँवर

''होता है निर्माण देश का पाकर उत्तम शिक्षा,
करें देश के सकल नागरिक निज कर्तव्य समीक्षा।
क्या विस्मय यदि घिरी हुई हैं, घोर घटाएँ काली,
जबकि देश में शिक्षा की दूषित हो गई प्रणाली।।''

शिक्षा समाज की आधारशिला है। शिक्षा ही योग्य नागरिकों का निर्माण करती है जिनके द्वारा समाज अथवा राष्ट्र का उत्थान और सुरक्षा हो सकती है। शिक्षा के बिना व्यक्तियों के जीवन का विकास संभव नहीं और व्यक्तियों के विकास के अभाव में समाज अथवा राष्ट्र का विकास भी कोरा स्वप्न ही है। अतः किसी समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अच्छी शिक्षा का होना आवश्यक है और अच्छी शिक्षा तब ही हो सकती है, जब शिक्षा–प्रणाली ठीक तथा उत्तम हो। यह खेद का विषय है कि हमारी शिक्षा–प्रणाली इतनी दूषित हो गई है कि इसमें उत्तम शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। यही हमारे समाज तथा राष्ट्र की दुर्दशा का प्रधान कारण है।

प्रत्येक बालक संसार का प्रकाश होता है। इसके विपरीत यदि वह संसार का प्रकाश नहीं बनता है, तो वह संसार में अंधकार को फैलाने का कारण बनता है। इसलिए आज की उद्देश्यहीन शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाने की दिशा में सबसे अधिक प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षक और अभिभावकों के संयुक्त प्रयास से बालक को नेक और चुस्त बनाने की कोशिश होनी चाहिए। नेक से अभिप्राय है अच्छे हृदय वाला, उच्च नैतिक मूल्यों, शालीन, व्यवहार कुशल, आचरणवान, दृढ़ विचारों वाला तथा ऊँचा सोचने की क्षमता रखने वाला, ताकि वह मानव–जाति के लिए ईश्वर का वरदान एवं मानव–जाति का गौरव बने।

नैतिक मूल्यों में तेजी से हो रहे पतन और मूल्यों के प्रति उपेक्षा, अनास्था और उदासीनता ने सभी को हिलाकर रख दिया है। जीवन के सभी पक्षों में भयानक रोग की तरह फैली सर्वग्राही अनैतिकता और साथ ही अनैतिक आचरणकर्त्ताओं को निर्बाध रूप से मिलती सफलता से हर कोई भयाक्रांत हो उठा है। आज अनैतिक आचरण को सफलता की कुंजी माना जाने लगा है। क्या परीक्षा, क्या नौकरी सब जगह भ्रष्टाचार! खाद्य पदार्थों और दवाइयों में मिलावट बढ़ती जा रही है, सड़कें टूट जाती हैं, बिजलीघर चाहे जब बंद हो जाते हैं, चिकित्सालयों और न्यायालयों तक में

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 24

घूसखोरी, सरस्वती के मंदिर अनुशासनहीनता के केन्द्र बनते जा रहे हैं। गुरु–शिष्य के पवित्र रिश्ते पर प्रश्नचिह्न लग चुका है। हमारी संसद और विधानसभाएँ भी हमें अच्छे आचरण की शिक्षा नहीं देती हैं। घर में माता–पिता, विद्यालय में अध्यापक, दफ्तर में अफसर और बाबू, न्यायालयों में वकील और जज, पुलिस और मंत्री तक किसी के आचरण में निर्भीकता नहीं, नैतिकता नहीं, निष्पक्षता नहीं और यही सब 'आदर्श' देखकर आज का बालक और युवक भटकाव के रास्ते पर है। कहावत है कि जब सोने को ही जंग लगा हो, तो बेचारे लोहे को क्या कहें!

जब संसद से लेकर विद्यालय और घर तक कहीं भी बालकों को आदर्श आचरण और मर्यादापूर्ण व्यवहार नहीं मिलता है तो उनका भटकना स्वाभाविक है। हम स्वयं अपने आचरण की परवाह नहीं करते हैं और उनके लिए नैतिक शिक्षा की योजनाएँ बनाते हैं। अगर ये योजनाएँ बच्चों के लिए न बनाई जाकर अभिभावकों, शिक्षकों, विधायकों एवं सांसदों के लिए बनाई जायें तो निश्चय ही कुछ सुधार हो सकता है। पानी तो हमेशा ऊँचाई से नीचे की तरफ बहता है और यही बात है आचरण की भी।

जब आचरण की शुद्धि होगी, व्यवहार की मर्यादा होगी तभी प्रौढ़ों की वर्जना में, उनके आदेश में एक असर होगा और बच्चे सहज ही कही बात मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। समय पर स्कूल में और कक्षा में देरी से पहुँचने की कोई छात्र सोच भी नहीं सकता। शख्सियत का अपना एक असर होता है, शब्दों से, उपदेश से, आदेश से कहीं अधिक नई पीढ़ी को आचरणहीन और अनुशासनहीन होने से बचाने के लिए नैतिक शिक्षा की बात तो खूब की जाने लगी है। नैतिक शिक्षा की बात तो सब करते हैं शिक्षक से लेकर निदेशक या कुलपति तक, विधायक, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री तक और राज्यपाल से राष्ट्रपति तक पर हम नैतिक शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत क्या करना चाहते हैं यह स्पष्ट नहीं है।

लगभग 18 वर्ष पूर्व यूनेस्को द्वारा आयोजित 'एशिया के देशों में नैतिक शिक्षा कैसी हो, क्या हो' के दस्तावेज विभिन्न शैक्षिक स्तर पर निम्नांकित लक्ष्य लेकर चलते हैं –

प्राथमिक स्तर – शिष्टाचार, अनुशासन, समय की पाबन्दी, पुत्रोचित आज्ञाकारिता, स्वच्छता, सहयोग, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दयालुता इत्यादि।

माध्यमिक स्तर – देशभक्ति, श्रमनिष्ठा, न्यायप्रियता, सहनशीलता, भ्रातृत्व, वैयक्तिक निष्ठा, प्रजातांत्रिक भावना, अन्य धर्म का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय भावना, चरित्र की दृढ़ता, नैतिक निर्णय क्षमता आदि।

विज्ञान और तकनीकी की बढ़ती हुई प्रगति के साथ यदि नैतिक दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आया तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। हम शिक्षा को नये प्रयोग और आयोजना, नवीन पद्धति, नई तकनीक, नए उपकरण और अनुसंधान आदि से अलंकृत करने की दिशा में सचेष्ट हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं शिक्षा विभाग सभी

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 25

नित–नवीन योजनाएँ बनाते हैं। नवाचार करने में लगे हैं। गुरुदेव टैगोर के अनुसार, ''इतने वर्षों से हम पिंजरे को ही सजाते चले जा रहे हैं, किन्तु अंदर तोता भूखा, प्यासा और उपेक्षित है, उसका हमें ध्यान ही नहीं है।''

नैतिक शिक्षा से हम यही चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी सही दिशा में सोचने को प्रेरित हों। नैतिक शिक्षा किसी एक कक्षा में या एक विद्यालय में होने से काम नहीं चलेगा। जब तक सब आजाद नहीं होंगे कोई भी पूरा स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब तक सब नैतिक नहीं होंगे कोई भी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। जब तक सब सुखी नहीं होंगे कोई भी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। जब सभी के लिए यह लागू होगी नीचे से ऊपर तक, तभी सही अर्थों में नैतिकता पनपेगी, अन्यथा जो अनैतिक हैं वे नैतिकता के दुश्मन बने रहेंगे और उनकी गलत ठंग से अर्जित अस्थायी सफलता औरों को भ्रमित कर उसी रास्ते पर बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करती रहेगी। जब मनुष्य का कोई समूह नाव में यात्रा कर रहा हो तब उनमें से किसी को भी अपनी नाव में छेद करने का अधिकार नहीं। पर लोग ऐसा कर रहे हैं और नावें डूब रही हैं। देश भी डूब रहा है। क्या घर में, क्या बाहर सभी ओर अनैतिकता, आतंक, धोखधड़ी और गुंडागर्दी व्याप्त है।

हमें आज आवश्यकता है 'अच्छे इंसान' की न कि केवल डॉक्टरों व इंजीनियरों की। शिक्षा में नैतिक पक्ष की अवहेलना का ही यह परिणाम है कि आज हम चांद–सितारों तक तो जा पहुँचे हैं पर धरती पर इंसान की तरह चलना भूलते जा रहे हैं और तभी तो सुयोग्य चिकित्सकों के होते हुए भी मर्ज और मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कुशल इंजीनियरों के बावजूद बांधों में आए दिन दरारें पड़ रही हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षित अध्यापकों के होते हुए भी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आज लोगों में न कर्तव्यनिष्ठा है, न देशभक्ति और न ईमानदारी। अपनी बुद्धि का उपयोग हम स्वार्थ साधन के लिए केवल अर्थ–संचय में करते हैं और अगर यही शिक्षा है तो न शिक्षकों ने कुछ सिखाया है और न ही विद्यार्थी कुछ सीख पाए हैं।

नैतिक शिक्षा मुख्यतः पुस्तकों से पढ़ाए जाने का विषय नहीं है। बल्कि यह जीवन से, वातावरण से सीखी जाती है। इसका प्रस्फुटन बालक में स्वतः ही उसके विकास काल में होता है। बालक घर पर, स्कूल में और समाज में जो कुछ देखता है उसके अनुसार आचरण करने लगता है। घर में और बाहर जब वह रात–दिन सिफारिश, रिश्वतखोरी, पक्षपात, विषमता तथा तोड़–फोड़ की बातें देखता है और सुनता है तो शुरू से ही नैतिक जीवन के प्रति उसकी कोई आस्था विकसित नहीं होती है। विद्यालय में प्रवेश से लेकर उत्तीर्ण होने तक यही वातावरण देखता है। कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्रों की हड़तालें, तोड़फोड़, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद एवं सांप्रदायिकता के दूषित प्रभाव से वह अछूता नहीं रहता। ऐसे वातावरण में पले बालक को नैतिक जीवन एक कालांश में एक पाठ पढ़ा देने से कितना परिवर्तित किया जा सकता है, यह सोचने की बात है। बाल–मन और किशोर–मन सामान्यतः जो देखता है वही करने को प्रेरित होता है।

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 26

जब तक देश के अध्यापकों को अपनी नौकरी के लिए आंदोलन करते रहना पड़ेगा, जब तक वे अधिकारियों और बाबुओं के सामने घिघियाते रहेंगे, जब तक उनके कर्तव्य एवं संस्था के प्रति निष्ठा और छात्रों तथा स्वाध्याय के प्रति सच्चा प्रेम नहीं होगा तब तक उनमें चाणक्य, शंकराचार्य, विवेकानंद और टैगोर के समान तेजस्विता नहीं आ सकती और तब तक नैतिक शिक्षा की प्रयोजना की सफलता संदिग्ध रहेगी।

शिक्षा का उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान देने के साथ जीवन मूल्यों की समझ देना भी है। वस्तुतः मूल्य आधारित शिक्षा केवल अच्छा इंसान ही नहीं बनाती है बल्कि बेहतर समाज और राष्ट्र का निर्माण भी उसी से होता है। विद्या ददाति विनयम अर्थात् विद्या विनयशीलता प्रदान करती है। विनम्रता, संवेदनशीलता, सच्चाई, सेवा, समन्वय, सहयोग जैसे गुणों पर खड़ा होने वाला इंसान, समाज और राष्ट्र अडिग होता है। इन जीवन मूल्यों की स्थापना करने का दायित्व हम शिक्षकों पर ही है। समय पर विद्यालय एवं कक्षा में जाकर बच्चों के साथ आत्मीय स्नेहमय व्यवहार करने वाले शिक्षकों की प्रतिष्ठा विशेष होती है। वे इससे न केवल बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान ही प्रदान करते हैं, अपितु उसके समान्तर नैतिक गुणों का विकास भी उनमें करते हैं।

यदि हम अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को नैतिकता सिखाना चाहते हैं तो पहले हमें स्वयं कुछ बातें अपने आचरण में परखनी होंगी कि –

- ❖ हम सबको यथायोग्य सम्मान देते हैं।
- ❖ हम सबसे पक्षपातरहित व्यवहार करते हैं।
- ❖ हम स्वयं समय पर कार्य करते हैं, निष्ठापूर्वक पढ़ते और पढ़ाते हैं।
- ❖ हममे स्वाभिमान है।
- ❖ हम गुटबाजी से दूर हैं।
- ❖ हम जाति–धर्म की संकीर्णता से ऊपर हैं।
- ❖ हममें चारित्रिक दृढ़ता है।
- ❖ हमारे अंदर सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा है।
- ❖ हममें संस्था और समाज के प्रति निष्ठा है।
- ❖ हममें निर्भिकता और दयालुता है।

यदि हम ऐसा आचरण स्वयं को करता हुआ पाते हैं तो हम बिना औपचारिक अध्यापन या आदेश के ही घर में और विद्यालय में बहुत कुछ नैतिकता पढ़ा सकेंगे, सिखा सकेंगे। महात्मा गांधी ने कहा है, ''मेरे अध्यापकों ने छात्र जीवन में मुझे पाठ्यपुस्तकों से जो कुछ पढ़ाया, वह मुझे बहुत कम याद है, लेकिन मुझे आज भी वह सब अच्छी तरह से याद है, जो उन्होंने पुस्तकों से परे मुझे अपने व्यवहार से सिखाया।''

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 27

दुनिया में जहॉ ज्ञान–विज्ञान का विस्तार तेज गति से हो रहा है, वहीं जीवन मूल्यों का जिस तरह क्षरण हो रहा है, वह चिन्ता का विषय है। विज्ञान का उद्देश्य सतत उन्नति करते हुए शान्ति की स्थापना सुनिश्चित करना है और इसके विपरीत यदि विनाश व अशान्ति कहीं दिखाई देती है, तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था में ढूंढ़ना होगा और इसका एक ही सूत्र है – शिक्षा में नैतिक एवं मूल्यपरक गुणों का समावेश जिसकी पाठ्यपुस्तक एवं प्रयोगशाला स्वयं शिक्षक को बनना होगा।

ooooo

दो तरह के शिक्षक होते हैं, वो जो आप को इतना भयभीत कर देते हैं कि आप हिल ना सकें, और वो जो आपको पीछे से थपथपा देते हैं और आप आसमान छू लेते हैं।

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 28

माध्यमिक विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली कम्प्यूटर शिक्षा का विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर प्रभाव का अध्ययन

प्रशान्त अग्निहोत्री
दिव्या गुप्ता

आज के वैश्वीकृत समाज में प्रत्येक देश विकास और प्रतियोगिता की दौड़ में दौड़ रहा है। इस दौड़ में जीतने के लिए अद्यतन ज्ञान, सूचनाएं और तकनीकी महारत सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत जैसे लोकतान्त्रिक विकासशील देश में जहॉ विकास की अनन्त संभावनाएं छुपीं हैं, ज्ञान का विकास, संरक्षण और उसका प्रसार देश के विकास की पहली सीढ़ी है। विगत दो दशकों से कम्प्यूटर के पदार्पण ने ज्ञान के विकास, संरक्षण और प्रसार तीनों को अपनी उपस्थित से सम्पृक्त किया है। जीवन के हर क्षेत्र में कम्प्यूटर की उपादेयता बढ़ी ही नहीं अनिवार्यता भी बन गई है। दिनोंदिन यह अनिवार्यता और गहराती जा रही है। इस प्रतियोगितापूर्ण विश्व में जिसे ग्लोबल विलेज या वैश्विक ग्राम कहा जा रहा है, में अपनी सक्षमता सिद्ध करने में कम्प्यूटर के ज्ञान का अपना महत्व और रूतवा है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा के प्रारम्भिक स्तरों पर कम्प्यूटर का कार्यकारी ज्ञान प्रदान किया जाये। परन्तु भारत जैसे परम्परावादी देश में यह अभी सार्वजनीन नहीं हो पाया है। अतः आवश्यक है कि माध्यमिक स्तर पर जो कि सम्पूर्ण शैक्षिक काल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वहाँ कम्प्यूटर शिक्षा के प्रयोग और उसके प्रभावों की पड़ताल की जाये। माध्यमिक स्तर पर जहाँ सरकार द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में लागू किया गया है वहाँ ऐसी पड़ताल इस योजना की प्रभावशीलता की जानकारी प्राप्त करने के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह अनुसंधान इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है।

इससे पूर्व भी अनुसंधान में प्रयुक्त चरों से सम्बधित कुछ अनुसंधान कार्य सम्पादित किये गये हैं जिसमें चटर्जी मुखर्जी और बनर्जी (1971), खन्ना (1980), त्रिवेदी (1988), जयमणि (1991), सिन्धी एन.ओ. (1991), आर.एन. फूलबाला (1997), रिवेट जे.आर. (2001), सरस्वती अग्रवाल एवं रूचि (2002), गोयल (2005), प्रमुख हैं। इनमें से कोई भी अध्ययन माध्यमिक विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर कम्प्यूटर शिक्षा के प्रभाव को जानने के संदर्भ में सम्पादित नहीं किया गया है। यह अनुसंधान इसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति का प्रयास है।

समस्या कथन

''माध्यमिक विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली कम्प्यूटर शिक्षा का विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 29

पर प्रभाव का अध्ययन।

समस्या का परिभाषीकरण

प्रस्तुत अध्ययन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है–

1. **कम्प्यूटर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी** – प्रस्तुत अध्ययन में कम्प्यूटर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से तात्पर्य सत्र 2011–12 में कक्षा 10 में अध्ययनरत तथा परिषदीय परीक्षा 2012 में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं से है जिनके पास कम्प्यूटर एक विषय के रूप में रहा है।
2. **कम्प्यूटर शिक्षा ग्रहण न करने वाले विद्यार्थी** – प्रस्तुत अध्ययन में कम्प्यूटर शिक्षा ग्रहण न करने वाले विद्यार्थियों से तात्पर्य सत्र 2011–12 में कक्षा 10 में अध्ययन तथा परिषदीय परीक्षा 2012 में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं से है जिनके पास कम्प्यूटर एक विषय के रूप में नहीं रहा है।
3. **सम्प्राप्ति** – सम्प्राप्ति का तात्पर्य किसी विषय या पाठ में छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान या कुशलता से है। प्रस्तुत अध्ययन में सम्प्राप्ति या शैक्षिक सम्प्राप्ति का मापन करने हेतु विद्यार्थियों द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र. इलाहाबाद की परिषदीय परीक्षा 2012 में प्राप्त प्राप्तांकों को प्रतिशत में परिवर्तित कर उनकी सम्प्राप्ति गुणांक के रूप में प्रयुक्त किया गया है।
4. **माध्यमिक विद्यालय** – अध्ययन में माध्यमिक विद्यालय से तात्पर्य ऐसे शासकीय तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से है जो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र., इलाहाबाद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तथा जिनमें माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र., इलाहाबाद द्वारा परिषदीय परीक्षयें सम्पन्न कराई जाती हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

व्यक्ति जिस किसी कार्य को करता है उसमें उसका कुछ न कुछ उद्देश्य निहित होता है। उद्देश्य के बिना वह कुछ भी कार्य नहीं करता है। प्रस्तुत शोध के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाले तथा कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाले तथा कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले बालक विद्यार्थियों की सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाली तथा कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाली बालिका विद्यार्थियों की सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाले तथा कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

5. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाले तथा कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनायें

प्रस्तुत शोध अध्ययन को संपादित करने हेतु निम्न शून्य परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है –

1. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाले तथा कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाले तथा कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले बालक विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाली तथा कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाली बालिका विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाले तथा कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाले तथा कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि एवं प्रक्रिया

प्रस्तुत शोध अध्ययन विश्लेषणात्मक प्रकृति का सर्वेक्षण आधारित सूक्ष्म अनुसन्धान है। इस शोध अध्ययन के अन्तर्गत शाहजहाँपुर जनपद के नगर क्षेत्र में स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. से सम्बद्ध सभी माध्यमिक विद्यालयों को विषय वस्तु बनाया गया है।

समष्टि (जनसंख्या)

प्रस्तुत शोध–अध्ययन में विचारधीन विषय–वस्तु के सम्पूर्ण समूह अर्थात समष्टि से अभिप्राय शाहजहाँपुर जनपद के नगर क्षेत्र के यू.पी. बोर्ड से सम्बद्ध माध्यमिक विद्यालय हैं। इस शोध अध्ययन में शोध समस्या के अध्ययन हेतु शाहजहाँपुर जनपद के नगर क्षेत्र के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. के विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में लिया गया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन में द्विस्तरीय दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। प्रथम स्तर पर शाहजहाँपुर नगर क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध दो बालक तथा दो बालिका इन्टर

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 31

कॉलेज का चयन लाटरी पद्धति से किया गया है। इस प्रकार प्रथम स्तर पर 4 विद्यालय चयनित किये गये जिनमें से दो बालक इन्टर कॉलेज तथा दो बालिका इन्टर कॉलेज हैं। द्वितीय स्तर पर इन चयनित विद्यालयों में कक्षा 10 में उत्तीर्ण संस्थागत विद्यार्थियों में से 50 का चयन क्रमानुसार चयन विधि से किया गया है।

चर

अध्ययन में प्रस्तुत चर 2 प्रकार के हैं – मापनीय और गणनात्मक।

मापनीय चर –

(i) सम्प्राप्ति – सम्प्राप्ति का तात्पर्य किसी विषय या पाठ में छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान या कुशलता से है। प्रस्तुत अध्ययन में सम्प्राप्ति या शैक्षिक सम्प्राप्ति का मापन करने हेतु विद्यार्थियों द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र. इलाहाबाद की परिषदीय परीक्षा 2012 में प्राप्त प्राप्तांकों को प्रतिशत में परिवर्तित कर उनकी सम्प्राप्ति को गुणांक के रूप में प्रयुक्त किया गया है।

गणनात्मक चर –

(i) **कम्प्यूटर शिक्षा ग्रहण की स्थिति** – कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले तथा इसमें प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को दो वर्गों में बांटा गया है।

(ii) **लिंग** – इस आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को बालक–बालिका के आधार पर बांटा गया है।

(iii) **जाति वर्ग** – इस आधार पर विद्यार्थी दो प्रकार के है एक अनारक्षित तथा दूसरे आरक्षित।

प्रयुक्त सांख्यिकीय तकनीक

आँकड़ों के विश्लेषण एवं निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु प्रतिशत, माध्य, प्रमाप विचलन, प्रमाप विभ्रम तथा परिकल्पना परीक्षण हेतु क्रान्तिक अनुपात का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचनः

परीक्षण से प्राप्त आँकड़ों को वर्गीकृत करके प्रतिशत, माध्य, प्रमाप विचलन तथा प्रमाप विभ्रम की गणना कर क्रान्तिक अनुपात परीक्षण तथा टी–परीक्षण आदि सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग करके प्रदत्तों का विश्लेषण एवं विवेचन कर निष्कर्ष निकाले गये हैं।

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 32

माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर कम्प्यूटर शिक्षा के प्रभाव का विश्लेषणः

कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले तथा प्रतिभाग न करने वाले माध्यमिक विद्यार्थियों की शौक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का विष्लेषण करने की दृष्टि से एकत्र ऑकड़ों के वर्गीकरण और विश्लेषण से प्राप्त परिगणित मूल्यों को तालिका संख्या 1 में प्रदर्शित किया गया है।

माध्यमिक विद्यालयों के कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तम्भ आरेखीय प्रदर्शन –

माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के तालिका संख्या 1 में प्रदर्शित शैक्षिक सम्प्राप्ति प्राप्तांकों के माध्य को निम्न चित्र आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है–

तालिका 1

परि0 सं0	तुलनीय चर	आधार	संख्या	मध्य	प्रमाप विचलन	प्रमाप विभ्रम	परिगणित	अन्तर क्रान्तिक अनुपात	परिकल्पना
1	विद्यार्थी	कम्प्यूटर शिक्षा वाले कम्प्यूटर शिक्षा नहीं	93 239	55.24 53.46	5.98 7.55	0.79	2.25	सार्थक	अस्वीकृत
2	बालक	कम्प्यूटर शिक्षा वाले कम्प्यूटर शिक्षा नहीं	46 119	55.22 52.79	6.14 7.28	1.13	2.15	सार्थक	अस्वीकृत
3	बालिका	कम्प्यूटर शिक्षा वाले कम्प्यूटर शिक्षा नहीं	47 120	54.31 51.83	5.96 6.52	1.05	2.35	सार्थक	अस्वीकृत
4	आरक्षित जाति	कम्प्यूटर शिक्षा वाले कम्प्यूटर शिक्षा नहीं	51 166	55.15 53.07	5.97 6.39	0.97	2.13	सार्थक	अस्वीकृत
5	अनारक्षित जाति	कम्प्यूटर शिक्षा वाले	42	54.88	5.80	1.22	2.18	सार्थक	अस्वीकृत

तालिका संख्या 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कम्प्यूटर शिक्षा के विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर प्रभाव के विश्लेषण के सदर्भ में निर्मित परिकल्पनाओं के परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों का निर्वचन क्रमागत रूप से निम्नवत् है –

1. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाले तथा प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में अन्तर है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले

विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों से उच्च है।

2. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाले एवं इस विषय में प्रतिभाग करने वाले बालक विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में अन्तर है। अर्थात् कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले बालक विद्यार्थियों की सम्प्राप्ति प्रतिभाग न करने वाले बालकों से अधिक है।
3. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाली एवं प्रतिभाग करने वाली बालिकाओं की शैक्षिक सम्प्राप्ति में पर्याप्त अन्तर दृष्टिगोचर हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं की शैक्षिक सम्प्राप्ति कम्प्यूटर विषय में प्रतिभाग न करने वाली बालिकाओं की शैक्षिक सम्प्राप्ति से श्रेष्ठ है।
4. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाले अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों एवं कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में अन्तर विद्यमान है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति इसी वर्ग के कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति से उच्च हैं।
5. कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग न करने वाले तथा प्रतिभाग करने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में पर्याप्त अन्तर है। दूसरे शब्दों में, कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति प्रतिभाग न करने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों से अधिक है।

सुझाव

अध्ययन से प्रकट समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न उपाय किये जा सकते हैं –

1. कम्प्यूटर विषय को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप शामिल करना चाहिए जिससे प्रत्येक छात्र/छात्रा को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध हो सके तथा वे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपना सर्वांगीण विकास कर सकें।
2. माता–पिता अथवा अभिभावकों को अपने बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
3. विद्यालय में शिक्षकों को भी अधिक से अधिक विद्यार्थियों को कम्प्यूटर विषय का चयन करने की सलाह देनी चाहिए।
4. विद्यार्थियों की शिक्षा को रोजगारपरक बनाना चाहिए।
5. विद्यार्थियों को शिक्षा के अतिरिक्त इनके लिए ड्रेस, पाठयपुस्तकें आदि की व्यवस्था भी विद्यालय की ओर से की जानी चाहिए।
6. सरकार द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को अलग से छात्रवृत्तियाँ प्रदान

की जानी चाहिए।

7. सरकार को चाहिए कि वह प्रचार तन्त्र के माध्यम से कम्प्यूटर विषय में जागरूकता पैदा करे।
8. सरकार को चाहिए कि विद्यालयों को नवीन पाठ्य सहगामी मृदुल तथा कठोर सामग्री उपलब्ध कराते रहना चाहिए।
9. यदि विकलांग विद्यार्थी कम्प्यूटर शिक्षा में प्रतिभाग करना चाहते हों उनके लिए कम्प्यूटर कक्षाओं को विद्यालय में भूमि तल पर ही लगाना चाहिए।
10. विद्यालय में सभी कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए मात्र एक अध्यापक की नियुक्ति की गई है जबकि एक अध्यापक के द्वारा प्रत्येक छात्र को शिक्षित कर पाना कठिन है। इसके लिए एक से अधिक शिक्षकों को लगाया जाना चाहिए।
11. कम्प्यूटर शिक्षा को प्राइवेट कम्पनी के सहारे छोड़ दिया गया है जो शिक्षक को बहुत कम मानदेय दे रहीं हैं। अतः सरकार को कम्प्यूटर शिक्षा को अपने संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध कराना चाहिए तथा नियमित शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए।

सन्दर्भ

1. अस्थाना, विपिन, मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यकी, विनोद, पुस्तक मन्दिर, आगरा, 1986
2. भटनागर, सुरेश, शिक्षण अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान, मोती बाग, देहरादून – 1976
3. चौबे, एस.पी., मनोविज्ञान और शिक्षा सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद – 1971
4. गुप्ता, राम बाबू, आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान, राम प्रकाशन मंदिर, आगरा 1991
5. जायसवाल एस.आर., शिक्षा मनोविज्ञान, पो.आ. महानगर, सीतापुर रोड, लखनऊ, 1978
6. गर्ग, शोभा, शैक्षिक प्रशासन, पी.एल. प्रकाशन, गोरखपुर, 1971
7. Buch, M.B.IInd, Survey of Research in Education'. NCERT, New Delhi.
8. Bunch, M.B., IIIrd Survey pf Research in Edu. (1978&82). N.C.E.R.T., New Delhi
9. Bunch, M.B., IVth Survey of Research in Education (1983-88). N.C.E.R.T., New Delhi.
10. Buch, M.B., Vth Survey of Research in Education'', NCERT, New Delhi,
11. Best John, W., (1982), 'Research in Education', IV Ed., New Delhi, Prentice Hall of India Pvt. Ltd.,
12. Garrett, Henry E., 'Statistics in Psychology & Education'Vakils Feffer and simons Pvt., Bombay, Sixth ed. 1971.
13. Kerlingar, Frederick N, 'Foundation of Behavioural Research, IInd Ed. New York: Holt, Rinehart and Wints fom 1973.
14. Mukerji, S.N., "Education in India Today and tomorrow, Vth Ed. Acharya Book Depo., Baroda 1964.

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 35

वेब साइट :

1- upefa.com

2- www.educationforallinindia.com

3- www.upgovt.nic.in

4- www.shahjahanpur.nic.in

5- www.upmsp.nic.in

6- www.nuepa.org

○○○○○

आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, तो आप एक आदमी को ही शिक्षित करते हैं,

अगर

आप एक औरत को शिक्षित करते हैं, तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं।

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 36

विद्यार्थियों के मूल्यों के विकास में विद्यालयों की भूमिका का अध्ययन

मीनाक्षी मिश्रा

आज समाज में चारों ओर नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों में गिरावट देखने को मिलती है। इस गिरावट के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में भी गिरावट देखी जा रही है। समाज में सामान्य आदमी की यह धारणा बन रही है कि मेहनतकश व ईमानदार व्यक्ति पिस रहे हैं। झूठ व फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख माना जा रहा है। इस धारणा ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासनहीनता, श्रम के प्रति उदासीनता, अनुत्रदायित्व आदि को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

उक्त स्थिति में आज मूल्य परक शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता महसूस होती है। शिक्षा का पुनः अभिविन्यास कर युवकों को इस बात की पुनः अनुभूति कराने की आवश्यकता है कि उपरोक्त धारणा को मान्यता प्रदान कर शोषण, असुरक्षा तथा हिंसा को कतई नहीं रोका जा सकता। आवश्यकता पिछले अनुभवों से सीखते हुए सुसंगती तथा व्यवहार के माध्यम से ऐसी मूल्य प्रणाली लागू करने की है जो जीवन के प्रति तर्कसंगत, वैज्ञानिक तथा नैतिक दृष्टिकोण पर आधारित हो।

मूल्य– मूल्य का अंग्रेजी रूपान्तर टंसनम है जो लैटिन भाषा के Valere शब्द से उत्पन्न हुआ है। यह किसी वस्तु की कीमत या उपयोगिता को व्यक्त करता है। भारतीय धर्म ग्रन्थों में मूल्य के लिए शील शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतः मूल्य एक प्रकार का मानक है। मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया अथवा विचार को अपनाने के पूर्व यह निर्णय करता है कि वह उसे अपनाये या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णयात्मंक ढ़ंग से आता है तो वह मूल्य कहलाता है।

काने कहते हैं कि ''मूल्य वे आदर्श, विश्वास या प्रतिमान हैं जिनको एक समाज या समाज के अधिकांश सदस्यों ने ग्रहण कर लिया है।'' पारसंस का मानना था कि ''मूल्य किसी सामाजिक व्यवस्था में कई अनुस्थापनों में से किसी एक अनुस्थापन को चुनने का एक मानक है।'' मेकेन्जी कहते हैं कि'' सुख को मूल्य की अनुभूति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।''

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक व निर्देशक सिद्धान्त तथा मानक हैं जो सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न विकल्पों में से चयनित व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने को दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं।

मूल्यों का वर्गीकरणः– मूल्यों के प्रमुख स्वरूप इस प्रकार हैंः

1. शैक्षिक मूल्य 2. नैतिक मूल्य 3. राजनैतिक मूल्य 4. सांस्कृतिक मूल्य 5. पर्यावरणीय मूल्य

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 37

6. धार्मिक मूल्य 7. सामाजिक मूल्य 8. प्रजातान्त्रिक मूल्य 9. सौन्दर्य मूलक मूल्य 10. आर्थिक मूल्य 11. ज्ञानात्मक मूल्य 12. मानवीय मूल्य 13. शक्ति मूल्य 14. पारिवारिक प्रतिष्ठा मूल्य 15. स्वास्थय मूल्य

समस्या कथनः— ''विद्यार्थियों के मूल्यों के विकास में विद्यालयों की भूमिका का अध्ययन''

शोध की आवश्यकताः— वर्तमान समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और जटिलताएं व विकृतियां बढ़ती जा रही हैं जिससे सामान्य जनजीवन में उच्चादर्श धूमिल पड़ते जा रहे हैं। कुविचारों और दुर्भावनाओं के कारण मानव मूल्यों का प्रायः ह्रास सा हो गया है। हमारी प्रचीन परम्पराएं जो हमारे जीवन की नींव थी, जिनके कारण भारतवर्ष विश्वगुरू माना जाता था वे बिखरते जा रहे हैं। आज मानव मूल्यों व सामाजिक दायित्व का बोध दिनों–दिन क्षीण होता जा रहा है। इन सब दुर्गुणों के उन्मूलन हेतु मूल्य परक शिक्षा की आवश्यकता है।

राजस्थान के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मूल्य परक शिक्षा के समावेस का प्रावधान तो हैं, परन्तु इसका सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण तो यह है कि शिक्षक ही इसमें रूचि नही लेते और अगर लेते भी हैं तो केवल सैद्धान्तिक ज्ञान देते हैं। व्यावहारिक ज्ञान से उन्हे कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी बालकों में मूल्यों का विकास कितना हुआ है इसका अध्ययन करने के लिए शोधार्थी को इस अध्ययन की आवयश्कता महसूस हुई।

उपरोक्त कारणों से प्ररित होकर शोधार्थी ने माध्यमिक स्तर के हिन्दी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, सरकारी तथा गैरसरकारी विद्यालयों के मूल्यों के विकास में भूमिका का अध्ययन करने का निश्चय किया।

शोध क्षेत्र : शोधार्थी ने इस शोध कार्य को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले तक सीमित रखा है। इस अध्ययन में माध्यमिक स्तर के हिन्दी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों के 100 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

शोध के उद्देश्यः

(1) विद्यार्थियों के मूल्य के विकास में हिन्दी माध्यम विद्यालयों की भूमिका का अध्ययन करना।
(2) विद्यार्थियों के मूल्य के विकास में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की भूमिका का अध्ययन करना।
(3) विद्यार्थियों के मूल्य के विकास में सरकारी विद्यालयों की भूमिका का अध्ययन करना।
(4) विद्यार्थियों के मूल्य के विकास में गैरसरकारी विद्यालयों की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध विधिः— प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी ने अपनी अध्ययन समस्या के उद्देश्यों को प्राप्त

करने हेतु वर्णात्मक विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है क्योंकि इस विधि से पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है।

न्यादर्शः— इस शोध में शोधार्थी ने न्यादर्श के रूप में हनुमानगढ़ जिले के 200 विद्यार्थियों का चयन किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त न्यादर्श निम्नानुसार है।:

सारणी — 1

विभिन्न विद्यालयों का वर्गवार विवरण

विद्यालय	विद्यार्थी
हिन्दी माध्यम विद्यालय	50
अंग्रेजी माध्यम विद्यालय	50
सरकारी विद्यालय	50
गैर सरकारी विद्यालय	50
कुल	200

उपकरणः— प्रस्तुत में शोधार्थी द्वारा आकड़ों का संकलन करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया है जिसमें कुल 35 कथन हैं।

सांख्यिकीय विधिः— इस शोध कार्य में आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए प्रतिशतता मध्यमान का प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषणः— प्रस्तुत शोध में विद्यार्थियों में मूल्यों के विकास में विद्यालयों की भूमिका का अध्ययन किया गया तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

सारणी — 2

विद्यार्थियों के मूल्यों के विकास में हिन्दी माध्यम विद्यालयों की भूमिका

प्राप्तांक	आवृति	प्रतिशत	मूल्यों का स्तर	मध्यमान
29—35	15	30	अति उच्च	25.28
22—28	25	50	उच्च	
15—21	7	14	सामान्य	
8—14	3	6	निम्न	
1—7	0	0	अति निम्न	

उपरोक्त सारणी में विद्यार्थियों के मूल्यों के विकास में हिन्दी माध्यम विद्यालयों की भूमिका से सम्बन्धित आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि हिन्दी माध्यम विद्यार्थियों के मूल्यों से सम्बन्धित आंकड़ों का मध्यमान 25.28 है जो हिन्दी माध्यम विद्यालयों के विद्यार्थियों में उच्च स्तर के मूल्यों को इंगित करता है।

सारणी 3

विद्यार्थियों के मूल्यों के विकास में अंग्रेंजी माध्यम विद्यालयों की भूमिका

प्राप्तांक	आवृति	प्रतिशत	मूल्यों का स्तर	मध्यमान
29–35	8	16	अति उच्च	
22–28	10	20	उच्च	
15–21	30	60	सामान्य	20.94
8–14	5	10	निम्न	
1–7	0	0	अति निम्न	

उपरोक्त सारणी में विद्यार्थियों के मूल्यों के विकास में अंग्रेंजी माध्यम विद्यालयों की भूमिका में सम्बन्धित आंकड़ों में प्रस्तुत किया गया है। सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अग्रेंजी माध्यम विद्यार्थियों के मूल्यों से सम्बन्धित आंकड़ों का मध्यमान 20.94 है। जो कि अग्रेंजी माध्यम विद्यालयों के विद्यार्थियों में सामान्य स्तर के मूल्यों की ओर इंगित करता है।

सारणी 4

विद्यार्थियों के मूल्यों के विकास में सरकारी विद्यालयों की भूमिका

प्राप्तांक	आवृति	प्रतिशत	मूल्यों का स्तर	मध्यमान
29–35	5	10	अति उच्च	
22–28	09	18	उच्च	
15–21	29	58	सामान्य	19.54
8–14	8	12	निम्न	
1–7	0	0	अति निम्न	

उपरोक्त सारणी में विद्यार्थियों के मूल्यों के विकसित करने में सरकारी विद्यालयों की भूमिका से

सम्बन्धित आंकड़ों में प्रस्तुत किया गया है। सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के मूल्यों से सम्बन्धित आंकड़ों का मध्यमान 19.54 है। जो कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में स्तर के मूल्यों की ओर इंगित करता है।

सारणी 5

विद्यार्थियों के मूल्यों के विकास में गैरसरकारी विद्यालयों की भूमिका

प्राप्तांक	आवृति	प्रतिशत	मूल्यों का स्तर	मध्यमान
29–35	13	26	अति उच्च	
22–28	22	44	उच्च	
15–21	10	20	सामान्य	24.02
8–14	5	10	निम्न	
1–7	0	0	अति निम्न	

उपरोक्त सारणी में विद्यार्थियों के मूल्यों के विकसित करने में गैरसरकारी विद्यालयों की भूमिका से सम्बन्धित आंकड़ों में प्रस्तुत किया गया है। सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि गैरसरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के मूल्यों से सम्बन्धित आंकड़ों का मध्यमान 24.02 है। जो कि गैरसरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उच्च स्तर के मूल्यों की ओर इंगित करता है।

निष्कर्षः– प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

(1) हिन्दी माध्यम विद्यालयों के विद्यार्थियों में उच्च स्तर के मूल्य पाये जाते हैं। क्योंकि हिन्दी माध्यम विद्यालय के विद्यार्थियों के मूल्यों को विकसित करने के लिए उचित वातावरण उपलब्ध करवाते हैं।

(2) अग्रेंजी माध्यम विद्यालयों के विद्यार्थियों में सामान्य स्तर के मूल्य पाये जाते हैं। क्योंकि अग्रेंजी माध्यम विद्यालय के विद्यार्थियों पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति की ओर आकर्षित होते है। इसलिए उनमें मूल्यों का विकास उचित तरीके से नही हो पाता है।

(3) सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में सामान्य स्तर के मूल्य पाये जाते हैं। क्योंकि सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को मूल्यों का विकास करने विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं।

(4) गैरसरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उच्च स्तर के मूल्य पाये जाते हैं। क्योंकि नीजि विद्यालय का वातावरण विद्यार्थियों को मूल्यों का विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 41

इस तरह उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि हिन्दी माध्यम तथा गैरसरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उच्च स्तर के मूल्य पाये जाते हैं तथा उपरोक्त विद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह भी स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी माध्यम तथा सरकारी विद्यालय विद्यार्थियों के मूल्य के विकास में उचित भूमिका नही निभाते हैं जिसके कारण इन विद्यालयों के विद्यार्थियों में मूल्यों का स्तर सामान्य पाया जाता है।

सुझावः

(1) विद्यार्थियों में मूल्यों को विकसित करने का दायित्व विद्यालय का है। अतः विद्यालय की ओर ध्यान देना होगा।

(2) विद्यार्थियों को मूल्यों का स्तर बढ़ाने के लिए विद्यालयी वातावरण प्रदान करना आवश्यक है।

(3) विद्यार्थियों में मूल्यों को विकसित करने के लिए अध्यापकों को भी इस ओर ध्यान देना होगा।

(4) विद्यालयी पाठ्यक्रम में मूल्यों से सम्बन्धित विषय को लागू करना चाहिए।

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 42

हमारे लेखक

महेन्द्र कुमार वर्मा
एसो प्रो एवं विभागाध्यक्ष
स्नातकोत्तर एवं शोध अध्ययन
शिक्षा विभाग,
स्वामी शुकदेवानन्द पी जी कालेज,
शाहजहाँपुर, उ.प्र.

नागेश शिन्दे
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
सतत् अध्ययनशाला,
विक्रम विश्वविद्यालय
उज्जैन, म.प्र.

संदीप सोनी
प्राध्यापक,
स्वामी विवेकानन्द शिक्षा महाविद्यालय,
सेनधावा, जिला – बरवानी, म. प्र.

दीपमाला सोनी
शोधार्थी
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन, म. प्र.

निधि तँवर
शोधार्थी
मेवाड़ विश्वविद्यालय,
गंगरार, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रशान्त अग्निहोत्री
असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्नातकोत्तर एवं
शोध अध्ययन शिक्षा विभाग,
एस एस (पी जी) कॉलेज,
शाहजहाँपुर, उ.प्र.

दिव्या गुप्ता
प्राध्यापक,
मुन्शी रघुनन्दन प्रसाद सरदार पटेल
महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बाराबंकी, उ. प्र.

मीनाक्षी मिश्रा
प्राचार्य, भारती शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
श्री गंगानगर (राज.)

ps Feb-mar'13_feb'11 pror shiksha.qxd 3/14/2013 2:20 PM Page 43

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष
प्रो. भवानीशंकर गर्ग

उपाध्यक्ष
श्री सुधीर चटर्जी
श्री ए. एच. खान
डा. एल. राजा
डा. एम. एस. राणावत
सुश्री निशात फारूख

महासचिव
श्री के. सी. चौधरी

कोषाध्यक्ष
डा. मदन सिंह

संयुक्त सचिव

सह–सचिव
श्री एस. सी. खण्डेलवाल
डा. पी. ए. रेड्डी
डा. ओ.पी.एम. त्रिपाठी
श्रीमती इन्द्रा पुरोहित

सदस्य
श्री दुर्लभ चेतिया
श्री मृणाल पंत
डा. वी. रेघु
डा. एस. एल. शर्मा
प्रो. के. आर. सुशीले गौडा
श्रीमती राजश्री बिस्वास
प्रो. सरोज गर्ग
सुश्री उषा राय

सहयोजित सदस्य
श्री एच. सी. पारीख
श्री. एच. सी. पारीख
प्रो. एस. वाई शाह
श्री रामेश्वर नीखरा
डा. डी. उमा देवी
श्री हरीश एस
डा. निर्मला नुवाल